मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 10/01/07

अधिसूचना

क्रमांक..एफ 6–12/98/अ–ग्यारहः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 27) की धारा 30 सहपठित धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

नियम

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउन्सिल नियम, 2006 है।
(2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा।
(3) ये नियम 2 अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषायें

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का सं. 27);

(ख) "माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम" से अभिप्रेत है माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का सं. 26);

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (एक) के अधीन नियुक्त सूक्ष्म और लघु उद्योग फेसीलिटेशन काउंसिल का अध्यक्ष;

(घ) "कलक्टर" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला कलक्टर;

(ङ.) "काउंसिल" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 20 के अधीन स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल;

2....................

(च) "विभाग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग;

(छ) "संस्था" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) तथा (3) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विवाद निपटारे की सेवाएँ देने वाला कोई संस्थान या केन्द;

(ज) "सदस्य" से अभिप्रेत है काउंसिल का सदस्य ;

(झ) "सचिव" से अभिप्रेत है अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट, विभाग का संयुक्त संचालक;

(य) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ठ) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो कि उन्हें इस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. नियुक्ति आदि की रीति :

(क) राज्य सरकार, धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (दो), (तीन) या (चार) में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों को काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(ख) सचिव, अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार काउंसिल की बैठकों को बुलाये जाने को सुकर बनायेगा, और काउंसिल को सचिवालयिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा।

(ग) जब काउंसिल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है या यह समझा जाता है कि उसने त्यागपत्र दे दिया है या उसे पद से हटाया जाता है या सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अयोग्य हो जाता है, तो राज्य सरकार उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

(घ) अध्यक्ष से भिन्न कोई भी अन्य सदस्य उसको नामनिर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

3.........................

(ङ.) धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (दो), (तीन) या (चार) के अधीन नियुक्त सदस्य, काउंसिल का सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह उस प्रवर्ग या हितों का प्रतिनिधि नहीं रह जाता है, जहॉ से वह इस प्रकार नियुक्त किया गया था।

(च) काउंसिल का कोई भी सदस्य राज्य सरकार को लिखित में एक माह का नोटिस देकर काउंसिल से त्यागपत्र दे सकेगा। सदस्य का त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित रहेगी।

(छ) राज्य सरकार किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगीः–

(एक) यदि वह विकृत चित्त का हो तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, या

(दो) यदि वह शोधन अक्षम या दिवालिया हो जाता है अथवा वह उसके लेनदारों को भुगतान रोक देता है, या

(तीन) यदि वह ऐसें अपराध के लिए दोषी पाया जाता हो जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अधीन दंडनीय है, या

(चार) यदि वह काउंसिल की लगातार तीन बैठकों में अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना तथा किसी अन्य मामले में लगातार पांच बैठकों में अनुपस्थित रहता है, या

(पांच) ऐसे वित्तीय या किसी अन्य हित का अर्जन करता है, जो राज्य सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हो।

4. काउंसिल के कृत्यों के निर्वहन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः–

(एक) काउंसिल की सामान्यतः मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(दो) किसी भी बैठक के लिए सामान्यतः कम से कम सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। तथापि अत्यावश्यकता की दशा में, ऐसे कम समय के नोटिस पर बैठक बुलाई जा सकेगी, जैसा अध्यक्ष द्वारा पर्याप्त समझा जाये

4.......................

(तीन) काउंसिल द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 26 के निबंधनों के अनुसार पर एक अथवा अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सकेगा / या सेवाएँ ली जा सकेंगी।

(चार) काउंसिल या काउसिंल के अनुमोदन से विवादग्रस्त कोई पक्ष, साक्ष्य ग्रहण करने में सहायता के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अधीन न्यायालय को आवेदन कर सकेंगे।

(पांच) व्यथित सूक्ष्म या लघु उद्यम प्रदायकर्ता के संदर्भ/आवेदन में प्रदायकर्ता तथा उसकी प्रास्थिति, प्रदाय किये गये माल या सेवाओं, प्रदायकर्ता और केता के बीच मान्य की गई भुगतान के निबंधन, यदि कोई हों, तारीख सहित प्राप्त भुगतान, देय रकम तथा अधिनियम की धारा 16 के अधीन गणना की गई ब्याज राशि का पूर्ण विवरण, आवश्यक कोर्ट फीस मुद्रांकित शपथपत्र सहित दिया जायेगा। काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के प्रयोजन हेतु किसी याचिकाकर्ता से दावे के समर्थन में और विशिष्टियॉं या कोई सुसंगत दस्तावेज जैसा वह आवश्यक समझे, मांगे जा सकेंगे। यदि याचिकाकर्ता, ऐसी सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर या ऐसे और बढ़े हुए समय के भीतर, जिसके लिए अध्यक्ष द्वारा पर्याप्त कारणों से अनुमति दी जाये, ऐसा करने में असमर्थ रहता है या चूक करता है, तो काउंसिल याचिकाकर्ता के नये संदर्भ प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वह ऐसा करने के लिए हकदार हो कार्यवाही को समाप्त कर सकेगी। याचिकाकर्ता, केता अथवा केताओं, जिनके विरूद्ध संदर्भ किया गया है, को भी संदर्भ की एक प्रति उसी समय भेजेगा।

(छह) संदर्भ/आवेदन की तत्काल अभिस्वीकृति दी जायेगी, यदि उसे काउंसिल के कार्यालय में दिया गया हो। यदि संदर्भ/आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक से प्राप्त होता है, तो उसकी प्राप्ति की उसी दिन अभिस्वीकृत की जायेगी। अध्यक्ष, केता को संदर्भ के बारे में विस्तृत प्रतिकिया प्रस्तुत करने के लिए, केता द्वारा संदर्भ प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अथवा पर्याप्त कारणों से ऐसे और समय जो 15 दिन से अधिक का न हो, जिसकी उसके द्वारा अनुमति दी जाये, बाध्य करेगा।

(सात) अधिनियम की धारा 18 के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर काउंसिल का अध्यक्ष संदर्भ और उस पर केता की प्रतिकिया का परीक्षण करवायेगा तथा समाधान हो जाने पर कि संदर्भ से प्रथम दृष्टया विलंबित भुगतान

5......................

का प्रकरण बनता है, संदर्भ को काउंसिल के समक्ष ठीक अगली बैठक में विचारण के लिए रखवाएगा। अध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि काउंसिल की ठीक पिछली बैठक की तारीख से दो सप्ताह के भीतर प्राप्त प्रत्येक संदर्भ का परीक्षण हो जाये और व्यवस्थित पाये जाने पर उसे ठीक अगली बैठक में काउंसिल के विचारण के लिए रख दिया जाये।

(आठ) काउंसिल अपने समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक संदर्भ पर या तो स्वयं सुलह की कार्यवाही करेगी या सुलह करने के लिए विचार के वैकल्पिक समाधान हेतु सेवाएँ देने वाली संस्था या केन्द्र को संदर्भ कर ऐसी संस्था या केन्द्र से सुलह संचालक हेतु सहायता प्राप्त करेगी। ऐसे किसी भी संदर्भ पर, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 65 से 81 तक के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि सुलह की कार्यवाही उस अधिनियम के भाग 3 के अधीन प्रारंभ की गई हो।

(नौ) काउंसिल या संस्था जिसको वह सुलह हेतु निर्दिष्ट किया गया हो, संबंधित प्रदायकर्ता और (संबंधित) क्रेता, दोनों पक्षकारों को इस निमित्त नोटिस जारी कर अपने समक्ष उपस्थित करा सकेंगी। दोनों पक्षकारों के उपस्थित होने पर, काउंसिल या संस्था प्रथमतः क्रेता और प्रदायकर्ता के बीच सुलह का प्रयास करेगी। संस्था, काउंसिल द्वारा निर्दिष्ट किये जाने के पंद्रह दिन के भीतर या उस कालावधि के भीतर जो काउंसिल विनिर्दिष्ट करें, अपनी रिपोर्ट काउंसिल को ऐसे समय प्रस्तुत करेगी।

(दस) जब ऐसी सुलह से विवाद का निपटारा नहीं होता है, काउंसिल या तो विवाद के अंतिम निपटारे के लिए स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी या माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन इसे किसी संस्था को माध्यस्थम हेतु निर्दिष्ट करेगी। प्रदायकर्ता या क्रेता व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी न्यायालय के साथ रजिस्ट्रीकृत उनके अधिवक्ता के माध्यम से काउंसिल या संस्था के समक्ष माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकेंगे। काउंसिल द्वारा संस्था अपनी रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर जैसा कि काउंसिल नियत करें, काउंसिल को प्रस्तुत करेगी।

(ग्यारह) काउंसिल का विनिश्चय काउंसिल की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

6.......................

(बारह) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 के अनुसार और अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर काउंसिल माध्यस्थम पंचाट जारी कर सकेगी। पंचाट, प्रवृत्त सुसंगत विधि के अनुसार मुद्रांकित किया जायेगा। पंचाट की प्रतियॉ आवेदन प्रस्तुत करने के सात दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(तेरह) अध्यक्ष या सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी काउंसिल की प्रत्येक बैठक का कार्यविवरण, काउंसिल की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति के सदस्य सचिव को अग्रेषित करेंगे।

5. देय रकम की भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली :-

यदि क्रेता, अधिनियम की धारा 19 के अधीन काउंसिल या किसी संस्था या केन्द्र द्वारा पारित किसी डिक्री, पंचाट या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए अपील फाइल नहीं करता है या ऐसी अपील खारिज हो गई हो, तो उस दशा में ऐसी डिक्री, पंचाट या आदेश संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निष्पादित किया जायेगा और बकाया रकम की वसूली भू राजस्व के बकाया के तौर पर की जायेगी ।

6. निरसन तथा व्यावृत्ति :-

(1) मध्यप्रदेश लघु और आनुषांगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज नियम, 1999, को एतद द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में की गई कोई कार्यवाही या की गई किसी बात को, इस नियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही या की गई बात समझा जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10.1.07

(टी.सी. लोहनी)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग.

7.............................

पृ.0क्र0 एफ 6–12/98/अ–ग्यारह भोपाल,दिनांक 10/01/07

प्रतिलिपिः–

1. उद्योग आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल.
2. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स,भोपाल की ओर अंग्रेजी अनुवाद की हस्ताक्षरित प्रति सहित संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को तत्काल भिजवाने का कष्ट करें।
3. आयुक्त,जनसंपर्क,मध्यप्रदेश भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10.1.07

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग